

मध्य प्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय

क एफ 3(ए)/06/2014/ पी-1/इकतीस

भोपाल, दिनांक

विषय :- डिप्लोमा उपयंत्री (विद्युत यांत्रिकी) से सहायक यंत्री (विद्युत यांत्रिकी) के पद पर दिनांक 26.08.2010 को सम्पन्न डी.पी.सी.के परिप्रेक्ष्य में रिव्यु बैठक दि. 29.10.2014 का कार्यवाही विवरण।

—:0:—


उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे :-

1. प्रो.एस.पी.गौतम, अध्यक्ष
सदस्य
म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर
2. श्री राधेश्याम जुलानिया, सदस्य
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
जल संसाधन विभाग, भोपाल
3. श्री एम.जी. चौबे, सदस्य
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
भोपाल
4. श्री एन.के.परिहार, सदस्य
अधीक्षण यंत्री (प्रशासन),
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल
(म.प्र.लोकसेवा (पदोन्नति) नियम 2002
के नियम-11 के प्रावधान अनुसार


उपयंत्री (विद्युत यांत्रिकी) से सहायक यंत्री (विद्युत यांत्रिकी) के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26.08.2010 को आयोजित की गई थी।


2. उक्त सम्पन्न डी.पी.सी. में श्री राजनारायण मिश्रा, उपयंत्री विद्युत यांत्रिकी का नाम दिनांक 01.04.2009 की वरिष्ठता सूची में 107-ए पर होने से चयन सूची की प्रतीक्षा सूची में रखे जाने की अनुशंसा की गई।

3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग के आदेश क्रमांक 3322151/रा.अ./06/183 दिनांक 28.01.2011 के द्वारा उपयंत्री (विद्युत यांत्रिकी) की पदक्रम सूची को पुनरीक्षित किया गया, जिसके फलस्वरूप श्री राजनारायण मिश्रा, उपयंत्री की वरिष्ठता क्र. 107-ए के स्थान पर वरि.क्र. 79-ए पर प्रतिस्थापित किया गया।
4. दिनांक 26.08.2010 को उपयंत्री (विद्युत यांत्रिकी) से सहायक यंत्री (विद्युत यांत्रिकी) के पद पर सम्पन्न डी.पी.सी. में अपनाये गये मापदण्डों के आधार पर श्री राजनारायण मिश्रा के वर्ष 2004 से 2009 तक के गोपनीय प्रलिवेदन के मूल्यांकनों पर विचार किया गया।
5. समिति द्वारा श्री राजनारायण मिश्रा को उनसे कनिष्ठ श्री रेवाशंकर चौधरी, को सहायक यंत्री के पद पर दी गई पदोन्नति की तिथि अर्थात् दि.17.09.2010 से "कार्य नहीं वेतन नहीं " के सिद्धान्त के आधार पर सहायक यंत्री (विद्युत यांत्रिकी) के पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त (fit) पाया।


(प्रो.एस.पी.गौतम)
सदस्य
लोक सेवा आयोग
अध्यक्ष


(राजेश्याम जुलानिया)
प्रमुख सचिव
जल संसाधन विभाग
सदस्य


(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
सदस्य


(एन.के.परिहार)
अधीक्षण यंत्री(प्रशासन),
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग
सदस्य